न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 8 सन 2019

अनवान :–

1. भंवरलाल 2 कृष्ण कुमार पि0 सुणाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. सुणाराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।
2. हरिसिह पुत्र सुणाराम जाति नायक निवास गुडिया तहसील नोहर।
3. रोशनी 4 कमलेश पुत्रीयान सुणाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

5 भादर 6 श्योपत 7 हंसराज 8 विनोद पि0 मेसर पुत्रीया सुणाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 8.1.19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 110 के प0न0 349/407 मु0न0 15 के किला न0 1 की 0.253 ,2/0.253 ,3/0.253 ,4/0.253 , 5/0.253 ,6/0.253 ,7/0.253 ,8/0.253 ,9/0.253 ,10/0. 253 प0न0 350/407(16) के किला न0. 1/0.227 ,2/0.228 ,9/0.253 ,प0न0 0 मु0न0 61 के किला न0 19/9 की 0.0510हैक गै0मु0खाला कुल 3.5420हैक भूमि सुणाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से उसके पुत्रों वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 सुणाराम के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है इसलिये वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बरबार का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादी की बहन एवं बहने के वारिस है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 8 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरासतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 8 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 110 की कुल 15 किता की 3.5420हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official